गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

शमन/स्वीकृत पत्र

दिनांक 17.02.18

पत्रांक 619 / प्रवर्तन जोन–1 / 2017–18

सेवा में,

मै0 दिव्य एंजल्स रियल्टर्स प्रा0लि0,
डी–205, श्याम पार्क एक्स0
साहिबाबाद, गाजियाबाद।

विषयः–खसरा संख्या–322 व 324, ग्राम नूर नगर गाजियाबाद पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवनों के निर्माण के शमन मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया खसरा संख्या–322 व 324, ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन ''आर्क एंजल्स'' के संशोधित मानचित्र संख्या–87/जी0एच0/जोन–1/14–15 दिनांक 27.01.2015 से अधिक किये गये निर्माण को शमन कराने हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 11.07.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आपके आवेदन पर उपाध्यक्ष महोदया के आदेश दिनांक 15.09.17 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार आपके द्वारा शमन धनराशि रू0 1,08,70,102.00 (रू0 एक करोड़ आठ लाख सत्तर हजार एक सौ दो मात्र) दिनांक 15.12.17 तक को विजया बैंक, गाजियाबाद में जमा किये जाने के उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ शमन मानचित्र निर्गत किया जाता हैः–

1. भवन के अध्यासन से पूर्व सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा एवं सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र से पूर्व रेनवाटर हार्वेस्टिंग को कियाशील करना होगा।
2. विकासकर्ता द्वारा अन्तिम शमन/सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये जाने से पूर्व शमनित निर्माण की अग्नि से सुरक्षा के संदर्भ में अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। इस हेतु यदि अग्निशमन विभाग के निर्देश पर भवन का परिवर्तन करना अपरिहार्य हो तो उसका दायित्व विकासकर्ता का होगा। अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही सम्पूर्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा सकेगा।
3. रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के संदर्भ में प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट का निर्माण कर क्रियाशील किये जाने के उपरान्त ही सम्पूर्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा।
4. ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर 15 प्रतिशत आवश्यक ग्रीन जन सामान्य हेतु सुरक्षित एवं अनुरक्षित रखनी होगी। सन्दर्भित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में 50 पेड़ प्रति हेक्टेयर व सामुदायिक सुविधा के अन्तर्गत 125 पेड़ प्रति हेक्टेयर के अनुसार लगाने होंगे।
5. भू–स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी पक्ष की होगी। किसी वाद–विवाद की स्थिति में शमन मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
6. प्रस्तावित मैकेनिकल पार्किंग के सन्दर्भ में सम्बन्धित वास्तुविद, विकासकर्ता एवं मैकेनिकल पार्किंग की अपूर्ति करने वाली एजेन्सी के सक्षम अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से शपथ पत्र एवं ब्रोशर प्रस्तुत करना होगा एवं मैकेनिकल पार्किंग हेतु 24 घंटे Power backup की व्यवस्था करनी होगी।
7. पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या–1681/जी0एम0पी0/जी0एच0/09–10 दिनांक 24.03.2011 तथा स्वीकृत मानचित्र संख्या–87/जी0एच0/जोन–1/14–15 दिनांक 22.01.2015, शमन स्वीकृति के